न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अतहर आमिर उल शफि खान आई.ए.एस.

करण संख्या 43/2019

उनवान

1 श्री रूपा आत्पज श्री गोपी गुर्जर निवासी हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ, भीलवाडा —प्रार्थी

बनाम

1 श्री भेरू लाल पिता श्री गोपी गुर्जर निवासी हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2 श्री भगवानलाल पिता श्री भेरू नायक निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
3 श्री इकबाल पिता श्रीअमीरदीन गौरी निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
4 श्री ओमप्रकाश पिता श्री चान्दमल सोनी निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
5 श्रीबाला बापू नागा केयर ऑफ छो बावडी सगजी नि0 हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
6 श्री छोगा पिता श्री धन्ना गुर्जर निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
7 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 13.08.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूॅ—राजस्व अधिनियम 956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 24.07.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है ग्राम हमीरगढ पटवार ल्का हमीरगढ भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी म्बर 1388 रकबा 0.2339 बीघा,आराजी स0 1389/1 रकबा 0.1517 आराजी स0 1743/1 रकबा 0.0506, राजी स0 1744/1 रकबा 0.0379, आराजी स0 1746 रकबा 0.1644, आराजी स0 1747 रकबा 0.4047, राजी स0 1748 रकबा 0.5437, आराजी स0 1807 रकबा 0.2788, आराजी स0 1807/3 रकबा 0.0499 कुल किता 09 कुल रकबा 1.9156 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं वेपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता हा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.07.2019 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीया एवं प्रार्थी सं0 01 व 07 उपस्थित। विपक्षी संख्या 02 से लगायत 06 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई ग अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही हुऐ है। अतः न्यायहित में विपक्षी संख्या 02 से लगायत 09 के वेरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को नुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन केया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की त्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर एव पूर्व में प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। प्रकरण में कानून शांति व्यवस्था को मध्यनजर रखते हुऐं। प्रार्थीया का आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम हमीरगढ़ पटवार हल्का हमीरगढ भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 1388 रकबा 0.2339, आराजी स0 1389/1 रकबा 0.1517, आराजी स0 1743/1 रकबा 0.0506, आराजी स0 1744/1 रकबा 0.0379, आराजी स0 1746 रकबा 0.1644, आराजी स0 1747 रकबा 0.4047, आराजी स0 1748 रकबा 0.5437, आराजी स0 1807 रकबा 0.2788, आराजी स0 1807/3 रकबा 0.0499 कुल किता 09 कुल रकबा 1.9156 भूमि कि पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 800/— पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 13.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

Scanned by CamScanner